भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं0 **3567**
दिनांक **15** जुलाई**,** 2019

पेट्रोल/डीजल का मूल्य

3567. श्री जय प्रकाशः
श्री महेश साहूः

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या पेट्रो लयम कंपनियां सरकार की अनुमति के बिना पेट्रोल और डीजल का मूल्य बढ़ाने या घटाने के लए स्वतंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) पेट्रोल और डीजल के मूल्य बढ़ाने या घटाने के संबंध में सरकार का कस हद तक पेट्रोल कंपनियों के कार्यकरण में हस्तक्षेप है; और

(ग) क्या सरकार निकट भ वष्य में पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृ द्व हेतु कोई योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (ग) सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को क्रमशः 26.06.2010 और 19.10.2014 से बाजार निर्धारित बना दिया है। तब से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल वपणन कंपनियां (ओएमसीज) अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यों तथा अन्य बाजार दशाओं के अनुसार पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेती हैं। पेट्रो लयम उत्पादों के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संब धत उत्पादों के मूल्यों से जुड़े होते हैं। तेल वपणन कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यों, वनिमय दर, कर संरचना, अंतरर्देशीय भाड़ा तथा अन्य लागत घटकों सहित व भन्न पहलुओं पर वचार करने के बाद खुदरा बिक्री मूल्य पर निर्णय लेती हैं।

****